कार्यालय, प्रधानाचार्य, स0ना0 मेडिकल कॉलेज, आगरा।

पत्रांक–अ0क0अ0 / नीलामी / 2020–21 / 206 दिनांक– 01/04/21

"विज्ञप्ति"

"एस0एन0 मेडिकल कॉलेज आगरा में निष्प्रयोज्य सामान की नीलामी दिनांक 12.04.2021 को दोपहर 12.00 बजे की जायेगी। नीलामी में प्रतिभाग लेने वाले प्रतियोगियों द्वारा निम्नलिखित शर्तें अक्षरशः एवं अनिवार्यतः पूर्ण किया जाना प्रत्येक दशा में बाध्यकारी होगा।

1. टोकन प्राप्त करने हेतु शुल्क **रूपये 10000 / –का ड्राफ्ट अथवा एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य, एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा** के नाम कार्यालय में नीलामी से पूर्व कैश अनुभाग में नियमानुसार जमा करानी होगी। जो कि नीलामी प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी। टोकन प्राप्तकर्ता ही नीलामी प्रकिया में भाग ले सकेंगे।
2. नीलामी में बोली लगाने से पूर्व से पूर्व धनराशि रूपये 2,50,000 / –(दो लाख पचास हजार रूप्ये मात्र) की एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य, स0ना0 मेडिकल कॉलेज, आगरा के नाम बन्धक होगी। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड की छायाप्रति, जिलाधिकारी के स्तर से अधिकतम छः माह पूर्व निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति, जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं का एक फोटो जमा करना अनिवार्य होगा। टोकन, विज्ञप्ति के प्रकाशन की दिनांक से 10.04.2021 तक तथा निष्प्रयोज्य सामग्री का अवलोकन एवं परीक्षण किसी भी कार्यदिवस तथा कार्यालयावधि में अपरान्ह 2.00 बजे से 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।।
3. नीलामी धनराशि को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष, नीलामी समिति का होगा जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। नीलामी की स्वीकृति का अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, नीलामी समिति का होगा।
4. सामान की नीलामी "जहॉ है, जैसा है", के आधार पर की जायेगी। नीलामी की स्वीकृति धनराशि पर 18 प्रतिशत अथवा जो भी वर्तमान में लागू है, जी0एस0टी0 देना होगा।
5. निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी प्रतिकिलोग्राम की दर से की जायेगी।

प्रधानाचार्य,
स0ना0 मेडिकल कॉलेज,
आगरा।